रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1993/श्रावण 25, 1915
No. 157] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1993/SRAVANA 25, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 150/ (पी.एन.)/92—97

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1993

विषय :— निर्यात आयात नीति, 1992—97 के अध्याय-9 के प्रयोजन हेतु मूल्य संयोजन

फा. सं. 13/64/92-ई पी सी.—निर्यात आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) के अध्याय-9 के पैराग्राफ 119 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई ओ यू)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी जेड) की यूनिटों पर लागू संशोधित मूल्य संयोजन के मानदंड निर्धारित किये गये हैं। निर्यात आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) के पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, निर्यात अभिमुख यूनिटों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों पर

लागू संशोधित मूल्य संयोजन मानदण्ड के परिपालन के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं —

(1) मौजूदा/अनुमोदित यूनिटें इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से तीन महीनों के भीतर या तो पुराने सूत्र के अंतर्गत बने रहने या 1993-94 से संशोधित मूल्य संयोजन सूत्र के अनुसार रूपांतरण का विकल्प दे सकती हैं;

(2) नए मूल्य संयोजन सूत्र का विकल्प देने वाली निर्यात अभिमुख यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त को अपने विगत कार्य निष्पादन, अगले पांच वर्षों के लिए निर्यातों, आयातों अन्य विदेशी मुद्रा के निर्गम तथा निबल विदेशी मुद्रा के अर्जन के नये आकलन प्रस्तुत करेंगी। निर्यात अभिमुख यूनिटों के मामले में, जहां बांड की शेष अवधि 5 वर्षों से कम हो, वहां आकलन केवल इसी अवधि के लिए होगा;

(3) इन आकलनों को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त संबंधित अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) से संशोधित मूल्य संयोजन की सिफारिश करेगा। अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरांत निर्यात संसाधन क्षेत्र के यूनिटों के मामले में संबंधित विकास आयुक्त तथा निर्यात अभिमुख यूनिटों के बारे में एस आई ए द्वारा संशोधित अनुमति पत्र/आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाएगा; और

(4) नये सूत्र के अनुसार मूल्य संयोजन की गणना का विकल्प देने वाली यूनिटों को निर्धारित प्रपत्र में एक नये विधिक करार का निष्पादन करना होगा।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

अजीत कुमार, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 150/(PN)/92-97

New Delhi, the 16th August, 1993

Subject :—Value addition for the purpose of Chapter-IX of Export and Import Policy, 1992—97.

F. No. 13/64/92-EPC.—Attention is invited to paragraph 119 of Chapter IX of the Export and Import Policy 1992—97 (Revised Edition : March, 1993) in which the revised value addition criteria applicable to EOUs/EPZ units has been laid down. In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy 1992—97 (Revised Edition : March, 1993), the Director General of Foreign Trade hereby prescribes the following procedure in

respect of the operation of the revised value addition criteria applicable to EOU/EPZ units :—

(i) the existing/approved units may exercise an option within three months from the date of this public notice either to continue under the old formula or change over with effect from 1993-94 to the revised value addition formula ;

(ii) the EOUs/EPZ units opting for the new value addition formula shall submit to the Development Commissioners of the EPZ concerned, their post performance, fresh projections of exports, imports, other foreign exchange outgo and net foreign exchange earnings for the next five years. In case of EOUs, where remaining bonding period is less than 5 years, the projections may be for this duration only ;

(iii) the Development Commissioner shall, keeping in mind such projections, recommend revised VA to the concerned Board of Approvals (BOA). After approval by the BOA, amended Letter of Permission/Letter of Intent/Industrial Licence, shall be issued by the concerned Development Commissioner in the case of EPZ units and by SIA in respect of EOUs ; and

(iv) units opting for computation of value addition in accordance with the new formula shall execute a new Legal Agreement in the prescribed format.

2. This issues in public interest.

AJIT KUMAR, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993